05.10.2018 को एनएसईजेड, नोएडा में आयोजित हरियाणा के एसईजेड की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

<u>नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र</u>

<u>एनएसईजेड, नोएडा के कांफ्रेंस हॉल में 05.10.2018 को 12.30 बजे अपराह्न को डॉ. एल.बी. सिंहल, विकास आयुक्त, एनएसईजेड की अध्यक्षता में आयोजित हरियाणा राज्य में स्थित निजी सेज की अनुमोदन समिति की बैठक की कार्यवाही।</u>

बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थेः-

1. श्री एस.एस. शुक्ला, संयुक्त विकास आयुक्त, एनएसईजेड
2. श्री जितेन्दर संह, उपायुक्त, आयकर, गुरुग्राम
3. श्री महेश कुमार, सहायक आयुक्त, दिल्ली
4. मो. हदीस अली, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, दिल्ली
5. श्री आर.एल. मीना, सहायक डीजीएफटी, नई दिल्ली
6. श्री राहुल यादव, कायार्लय संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग, फरीदाबाद
7. श्री महिपाल सिंह, डीटीपी (पी), गुरुग्राम
8. सेज विकासकर्ताओं/सह-विकासकर्ताओं के प्रतिनिधि, विशेष आमन्त्रिती।

इनके अतिरिक्त बैठक के दौरान अनुमोदन समिति की सहायता के लिए (i) श्री राजेश कुमार, डीडीसी, (ii) श्री सतीश सी. गंगर, निर्दिष्ट अधिकारी, (iii) श्री हरविन्दर बावा, निर्दिष्ट अधिकारी, (iV) श्री मोहन वीर रुहेला, एडीसी तथा (V) श्री प्रकाश चन्द उपाध्याय, डीसी के ओएसडी भी उपस्थित थे।

प्रारम्भ में अध्यक्ष ने भागीदारों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के उपरान्त प्रत्येक मुद्दों पर एक-एक कर विचार किया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के मध्य पर्याप्त विचार-विमर्श तथा विकासकर्ताओं/इकाइयों के आवेदकों/प्रतिनिधियों से बातचीत के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गयेः-

1. 07.09.2018 को आयोजित अनुमोदन समिति की पिछली बैठक का अनुसमर्थनः-

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि 07.09.2018 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णय के विरुद्ध अनुमोदन समिद अथवा ट्रेड के किसी सदस्य से कोई सन्दर्भ नहीं प्राप्त हुआ अतः 07.09.2018 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक की कार्यवाही अनुसमर्थित थी।

2. ग्राम टिकरी, सेक्टर-48, जिला गुरुग्राम (हरियाणा) में मैसर्स कैंडर गुडगाँव वन रियलिटी प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. के आईटी/आईटीईएस सेज में एक इकाई की संस्थापना हेतु मैसर्स एसई2 डिजिटल सर्विस एलएलपी का प्रस्ताव।

अनुमोदन समिति के संज्ञान में लाया गया कि ग्राम टिकरी, सेक्टर-48, जिला गुरुग्राम (हरियाणा) में मैसर्स कैंडर गुडगाँव वन रियलिटी प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. के आईटी/आईटीईएस सेज में भवन सं. 7 की 11वीं एवं 12वीं मंजिल पर 56446 वर्ग फीट (28223 वर्ग फीट प्रत्येक) स्थान में एक इकाई की संस्थापना हेतु पाँच वर्ष की अवधि के लिए रु. 18815 लाख के अनुमानित निर्यात तथा रु. 18679 लाख की संचयी एनएफई के साथ 'बैक ऑफिस सपोर्ट नामक आईटी/आईटी समर्थित सेवाओं, काल सेंटरों, डाटा प्रोसेसिंग, बीमा दावे प्रसंस्करण, राजस्व लेखा, सहायता केन्द्रों तथा वित्तीय सेवाओं' नाम की सेवा गतिविधियों के प्रचालन के लिए मैसर्स एसई2 डिजिटल सर्विस एलएलपी ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह भी सूचित किया गया कि आवेदक ने आयातित माल के लिए रु. 136 लाख, स्वदेशी पूँजीगत माल के लिए 1094 लाख के निवेश का प्रस्ताव किया और परियोजना की अन्य लागत मुख्य कायार्लय से प्राप्त पूँजी से पूरी की जायेंगी। पुनः यह सूचित किया गया कि सेज विकासकर्ता ने आवेदक को प्रस्तावित स्थान के आवंटन हेतु प्रावधानात्मक प्रस्ताव दिया है जिसमें भवन सं. 7 की बजाय भवन सं. 8 का उल्लेख है। यह पुनः सूचित किया गया कि भवन सं. 7 के परिप्रेक्ष्य में कब्जा प्रमाणपत्र सेज विकासकर्ता से प्राप्त किया जाना बाकी है।

यह सूचित किया गया कि निम्नलिखित दस्तावेज/सूचना जमा की जानी अपेक्षित है जिसकी सूचना आवेदक को दे दी गयी है:-

1. ऑनलाइन प्रपत्र-एफ में विसंगतियाँ:-
   - (i) दिनांक. 30.08.2018 के एलएलपी अनुबन्ध के अनुसार एसई2 होल्डिंग्स इनकॉर्पोरेशन तथा एसई2 एलएलसी नाम के दो साझेदार हैं अतः पैरा 5 में वास्तविक साझेदारों द्वारा श्री चिराग सुरेश बुच तथा श्री विनोद के. कचरू के विवरण प्रतिस्थापित किये जाने अपेक्षित हैं।
   - (ii) प्रस्तावित विशिष्ट सेवाएँ की जानी हैं अर्थात 'सैक ऑफिस सपोर्ट, काल सेंटर, डाटा प्रोसेसिंग, बीमा दावा प्रसंस्करण, राजस्व लेखा, सहायता केन्द्र तथा वित्तीय सेवाएँ नामक सूचना तकनीक तथा सूचना तकनीक समर्थित सेवाएँ' प्रपत्र-एफ के पैरा V में उल्लिखित की जानी अपेक्षित हैं।
   - (iii) कम्पनी के इनकॉर्पोरेशन प्रमाणपत्र के अनुसार प्रपत्र-एफ के पैरा 1 में कार्यालय का पूर्ण पंजीकृत पता उल्लिखित किया जाना अपेक्षित है।
   - (iv) प्रपत्र-एफ के पैरा 1 में बैंक का नाम, पता तथा खाता सं. नहीं दिया गया है।
   - (v) पैरा XI(ii) तथा (iV) के परिप्रेक्ष्य में उत्तर 'हाँ' या 'ना' में देना अपेक्षित है। आवेदक ने 'अप्रयोज्य' लिखा है।

2. दिनांक 30.08.2018 के एलएलपी अनुबन्ध के अनुसार मैसर्स स्तुति गलिया तथा श्री निलांजन घोष एलएलपी फर्म के मनोनीत साझेदार हैं जबकि परियोजना प्रतिवेदन/आवेदन में आवेदक ने उल्लेख किया है कि श्री चिराग सुरेश बुच तथा श्री विनोद के. कचरू वर्तमान मनोनीत साझेदार हैं। अतः मैसर्स स्तुति गलिया तथा श्री नीलांजन घोष के त्यागपत्र से सम्बन्धित रजिस्ट्रार कार्यालय अर्थात प्रपत्र 4 में दाखिल दस्तावेजी प्रमाणपत्र जमा किये जाने अपेक्षित हैं।
3. परियोजना प्रतिवेदन/कवरिंग लेटर के अनुसार इकाई की संस्थापना भवन सं. 7 की 11वीं तथा 12वीं मंजिल पर की जानी प्रस्तावित है जबकि सेज विकासकर्ता ने भवन सं. 8 की 11वीं तथा 12वीं मंजिल हेतु स्थान का प्रावधानिक प्रस्ताव निर्गमित किया है। यद्यपि 14.09.2018 को स्थान का प्रावधानिक प्रस्ताव सहित संलग्न मानचित्र भवन सं. 7 की 11वीं एवं 12वीं मंजिल के लिए है।
4. प्रपत्र-एफ में उल्लिखित वित्त के स्रोत 'मुख्य कार्यालय से प्राप्त आन्तरिक वित्त' का स्पष्टीकरण किया जाना है।
5. सीए द्वारा प्रमाणित एलएलपी फर्म के साझेदारों के शेयरधारिता अनुपात/पूँजी योगदान का विवरण जमा नहीं किया गया है।
6. निर्धारित प्रारूप में आयकर विवरण जमा किया जाना अपेक्षित है।
7. पूँजीगत वस्तुओं की सूची से 'रसोई के उपकरण' को समाप्त करना वांछित है।

मनोनीत साझेदार श्री सुरेश बुच आवेदक इकाई की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री जय कुमार, प्रमुख-सेज अनुपालन तथा श्री अमरीक सिंह, एजीएम-सेज भी मैसर्स कैंडर गुड़गाँव वन रियलिटी प्रोजेक्ट्स प्रा.लि., सेज विकासकर्ता की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। विकासकर्ता के प्रतिनिधियों ने अनुमोदन समिति को सूचित किया कि भवन सं. का निर्माण पूर्ण हो चुका है और डीटीसीपी, चण्डीगढ़ कार्यालय में कब्जा प्रमाणपत्र के अनुदान हेतु आवेदन जमा कर दिया गया है।

पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरान्त अनुमोदन समिति ने आवेदक इकाई द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों को जमा करने की शर्त पर प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया। अनुमोदन समिति ने पुनः निर्देशित किया कि इकाई विकासकर्ता द्वारा भवन सं. 7 के परिप्रेक्ष्य में कब्जा प्रमाणपत्र की प्राप्ति के पश्चात ही भवन सं. 7 की 11वीं एवं 12वीं मंजिल से कार्य प्रारम्भ करेगी। अनुमोदन समिति ने यह भी निर्देशित किया कि इकाई तथा सेज विकासकर्ता भवन सं. 7 में फिट-आउट/आन्तरिक साज-सज्जा करते समय राज्य भवन नियमों के अपेक्षित अनुपालन का ध्यान रखेंगे।

03. <u>ग्राम बहरामपुर, जिला गुरुग्राम (हरियाणा) में मैसर्स जी.पी. रियलटर्स प्रा.लि. के इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर तथा आईटी/आईटीईएस सेज में एक इकाई की संस्थापना हेतु मैसर्स सॉफ्टवेयर वन इण्डिया का प्रस्ताव।</u>

अनुमोदन समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि ग्राम बहरामपुर, जिला गुरुग्राम (हरियाणा) में पाँच वर्ष की अवधि हेतु रु. 33258 लाख के अनुमानित निर्यात तथा रु. 32987 लाख की संचयी एनएफई सहित 'आईटी/आईटीईएस-बीपीओ' नामक की सेवा गतिविधियाँ संचालित करने के लिए मैसर्स जी.पी. रियलटर्स प्रा.लि. के इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर तथा आईटी/आईटीईएस सेज में टॉवर 1Aकी 7वीं मंजिल पर 48836 वर्ग फीट के क्षेत्र पर एक इकाई की संस्थापना हेतु मैसर्स सॉफ्टवेयर वन इण्डिया ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह भी सूचित किया गया कि आवेदक ने स्वदेशी पूँजीगत वस्तुओं के लिए रु. 700 लाख के निवेश का प्रस्ताव किया है और परियोजना की अन्य लागत ग्राहकों से संग्रह, पूर्व आय तथा बैंक ओवरड्राफ्ट से पूरी की जायेगी। पुनः यह सूचित किया गया कि सेज विकासकर्ता ने टॉवर 1Aकी सातवीं मंजिल हेतु आवेदक को आवंटन का प्रावधानिक प्रस्ताव दिया है जबकि विकासकर्ता ने सेज के फेज-1 के ब्लॉक-1 तथा ब्लॉक-2 के परिप्रेक्ष्य में कब्जा प्रमाणपत्र हासिल कर लिया है।

05.10.2018 को एनएसईजेड, नोएडा में आयोजित हरियाणा के एसईजेड की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

यह पुनः सूचित किया गया कि ऑनलाइन प्रपत्र-एफ के पैरा XI(i) में आवेदक ने उल्लेख किया है कि रु. 150 लाख का पूँजीगत माल अपने वर्तमान डीटीए इकाई से प्रस्तावित सेज इकाई में अन्तरित किया जायेगा। पुनः यह सूचित किया गया कि आवेदक ने इस प्रभाव से एक शपथपत्र-सह-घोषणापत्र जमा किया है कि कम्पनी इस प्रस्तावित सेज से अपनी आय के परिप्रेक्ष्य में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10AA के तहत किसी आयकर लाभ का दावा नहीं करेगी। यह अपने वर्तमान डीटीए प्रचालनों से कर्मचारियों के स्थानान्तरण का भी प्रस्ताव करता है।

श्री विशाल दुआ, निदेशक-वित्त तथा श्री निखिल जैन, प्रबन्धक-कर आवेदक इकाई की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। आवेदक के प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि उन्होंने विकासकर्ता से प्रस्तावित स्थान के परिप्रेक्ष्य में कब्जा प्रमाणपत्र के विषय में परिचर्चा की और विकासकर्ता ने स्पष्ट किया कि स्थान के प्रावधानिक प्रस्ताव में उल्लिखित के अनुसार टॉवर-1 वास्तव में ब्लॉक-1 है जिसका उन्हें कब्जा प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है।

पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरान्त अनुमोदन समिति ने इस शर्त पर प्रस्ताव को अनुमोदित किया कि कम्पनी इस प्रस्तावित सेज इकाई से अपनी आय के परिप्रेक्ष्य में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10AA के अधीन आयकर लाभ का दावा नहीं करेगी। अनुमोदन समिति ने सेज विकासकर्ता से भवन के नाम के सम्बन्ध में स्थायीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने पुनः इकाई के प्रतिनिधि को कम्पनी की पृष्ठभूमि की संक्षिप्त रूपरेखा तथा डीटीए से सेज में व्यापार के प्रस्तावित अन्तरण को जमा करने का निर्देश दिया।

4. ग्राम बहरामपुर, जिला गुरुग्राम (हरियाणा) में मैसर्स जी.पी. रियलटर्स प्रा.लि. के इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर तथा आईटी/आईटीईएस सेज में एक इकाई की संस्थापना हेतु मैसर्स दिवामी डिजाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव।

अनुमोदन समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि ग्राम बहरामपुर, जिला गुरुग्राम (हरियाणा) में मैसर्स जी.पी. रियलटर्स प्रा.लि. के इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर तथा आईटी/आईटीईएस सेज में एक इकाई की संस्थापना हेतु मैसर्स दिवामी डिजाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 21.09.2018 के अपने आवेदन के माध्यम से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। पुनः यह सूचित किया गया कि आवेदक ने अपने ई-मेल दिनांक 03.10.2018 के माध्यम से सूचित किया कि हालिया वर्तमान व्यापारिक विकास के कारण वे अपने सेज इकाई के आवेदन दिनांक 21.09.2018 को वापस लेना चाहते हैं और उन्होंने कथित आवेदन को वापस लेने की अनुमति देने का निवेदन किया है।

पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरान्त अनुमोदन समिति ने आवेदक द्वारा दिनांक 21.09.2018 के आवेदन को वापस लेने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया।

5. ग्राम सिलोखेड़ा, गुरुग्राम (हरियाणा) में मैसर्स डीएलएफ लि. के आईटी/आईटीईएस सेज में अधिकृत प्रचालन करने हेतु सामग्रियों की सूची के अनुमोदन हेतु सह-विकासकर्ता मैसर्स डीएलएफ पावर एण्ड सर्विसेज लि. का प्रस्ताव।

अनुमोदन समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि मैसर्स डीएलएफ पावर एण्ड सर्विसेज लि., सह-विकासकर्ता ने मैसर्स डीएलएफ लि., सेक्टर-30, सिलोखेड़ा, गुरुग्राम (हरियाणा) में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों को संचालित करने के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव जमा कर दिया था:-

क्रम सं.	अधिकृत प्रचालन का नाम	निर्देश सं. 50 तथा 54 के अनुसार अधिकृत प्रचालन की डिफाल्ट सूची पर क्रम सं.	अनुमानित लागत (रु. लाख में)
(i)	स्प्रिंकलर, अग्नि तथा धूम संसूचकों सहित अग्निरोधी प्रणाली।	07	3.03
(ii)	*विद्युत तथा यान्त्रिक कार्यों सहित अभियान्त्रिक रखरखाव, ऊष्मा, वात संचार तथा एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) प्रणाली, अग्नि संसूचन तथा चेतावनी प्रणाली, जल आपूर्ति, झंझा, जलनिकासी तथा सीवेज*	बीओए द्वारा अनुमोदित अधिकृत प्रचालनों के अनुसार	5.14

	निस्तारण, भवन रखरखाव सेवाएँ तथा लिफ्ट लॉबी, कांफ्रेंस हॉल, पार्किंग क्षेत्र, सुविधा क्षेत्र कूड़ा-करकट तथा कबाड़ निस्तारण का रखरखाव, बागवानी, कीट नियन्त्रण, फैकेड सफाई सेवाएँ		
		कुल	8.17

श्री अनिल नौरियाल, महाप्रबन्धक एवं श्री पीताम्बर शर्मा, प्रबन्धक सह-विकासकर्ता की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्तावित सामग्रियों की आवश्यकता की व्याख्या की।

पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरान्त अनुमोदन समिति ने सामग्रियों की प्रस्तावित सूची को अनुमोदित कर दिया।

06. <u>सेक्टर-24 तथा 25A, गुरुग्राम (हरियाणा) में मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स लि. के आईटी/आईटीईएस सेज में अधिकृत प्रचालन संचालित करने हेतु सामग्रियों की सूची के अनुमोदन के लिए सह-विकासकर्ता मैसर्स डीएलएफ एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव।</u>

अनुमोदन समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि सेक्टर-24 तथा 25A, डीएलएफ फेज-III, गुरुग्राम (हरियाणा) में मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स लि. के आईटी/आईटीईएस सेज में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालन संचालित करने हेतु सामग्रियों की सूची के अनुमोदन के लिए सह-विकासकर्ता मैसर्स डीएलएफ एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था:-

क्रम सं.	अधिकृत प्रचालन का नाम	निर्देश सं. 50 तथा 54 के अनुसार अधिकृत प्रचालन की	अनुमानित लागत (रु. लाख में)
(i)	यूएसी द्वारा अनुमोदित के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवन का निर्माण।	22	4.92
(ii)	एक्सेस कंट्रोल तथा निगरानी तन्त्र	24	3.54
		कुल	**8.46**

श्री अनिल नौरियाल, महाप्रबन्धक तथा श्री पीताम्बर शर्मा, प्रबन्धक सह-विकासकर्ता की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्तावित सामग्रियों की आवश्यकता की व्याख्या की।

पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरान्त अनुमोदन समिति ने सामग्रियों की प्रस्तावित सूची को अनुमोदित कर दिया।

07. <u>ग्राम टिकरी, सेक्टर-48, गुरुग्राम (हरियाणा) में **आईटी/आईटीईएस सेज में अधिकृत प्रचालन संचालित करने हेतु सामग्रियों की सूची के अनुमोदन के लिए विकासकर्ता** मैसर्स कैंडर गुड़गाँव वन रियलिटी प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. का प्रस्ताव।</u>

अनुमोदन समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि ग्राम टिकरी, सेक्टर-48, गुरुग्राम (हरियाणा) में आईटी/आईटीईएस सेज के विकासकर्ता मैसर्स कैंडर गुड़गाँव वन रियलिटी प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. ने सेज में निम्नलिखित डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों को संचालित करने के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव जमा किया था:-

क्रम सं.	अधिकृत प्रचालन का नाम	निर्देश सं. 50 तथा 54 के अनुसार अधिकृत प्रचालन की डिफाल्ट सूची पर क्रम सं.	अनुमानित लागत (रु. लाख में)
(i)	इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवन का निर्माण।	22	308.45
(ii)	उचित क्षमता के आवश्यक उपकेन्द्रों, पाइपलाइन नेटवर्क आदि सहित्त विद्युतीय, गैस एवं प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क।	04	368.00
(iii)	प्रसंस्करण क्षेत्र की एयर कंडीशनिंग	21	86.65
(iv)	स्प्रिंकलर, अग्नि तथा धूम संसूचकों सहित अग्निरोधन प्रणाली।	07	222.04
(v)	जल उपचार संयन्त्र, जल आपूर्ति लाइनों (स्रोत तक सीधी लाइनें), सीवेज लाइनें, झंझा जल निकासी तथा उचित क्षमता के जलाशय।	02	83.24
(vi)	ठोस तथा तरल अपशिष्ट संग्रहण, सीवेज एवं कूड़ाकरकट निस्तारण, सीवेज उपचार संयन्त्र हेतु अन्य आवश्यक अवसंरचना तथा पाइपलाइन सहित उपचार एवं निस्तारण संयन्त्र।	3	88.10
(vii)	एक्सेस नियन्त्रण तथा निगरानी तन्त्र।	24	107.60
(viii)	स्ट्रीट लाइटिंग, सिग्नल तथा साइनेज सहित सड़क।	01	40.10
(ix)	साइट के परिक्षेत्र में प्रवेश, निकास तथा अन्य स्थलों पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस पोस्ट आदि।	11	26.85
(x)	इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित टेलीकॉम तथा अन्य संचार सुविधाएँ।	05	16.80

(xi)	लैण्डस्केपिंग तथा जल निकाय।	08	29.45
		कुल :	**1377.28**

श्री जयकुमार, हेड-सेज काम्पलियान्स तथा श्री अमरीक सिंह, एजीएम-सेज विकासकर्ता की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्तावित सामग्रियों की आवश्यकता की व्याख्या की।

पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरान्त अनुमोदन समिति ने 5000 किग्रा कूड़ेदान (क्रम सं. 47) तथा 200 नग टॉयलेट ब्रश (क्रम सं. 81) को छोड़कर "इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवन निर्माण कार्य" (अनुलग्नक-1) नामक अधिकृत प्रचालन के अधीन प्रस्तावित सामग्रियों की सूची को अनुमोदित कर दिया।

08. <u>ग्राम डुंडाहेड़ा, सेक्टर-21, गुरुग्राम (हरियाणा) में गुड़गाँव इन्फोस्पेस लि. के आईटी/आईटीईएस सेज में अधिकृत प्रचालन संचालित करने हेतु सामग्रियों की सूची के अनुमोदन के लिए सह-विकासकर्ता मैसर्स कैंडर गुड़गाँव टू डेवलपर्स एण्ड प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. का प्रस्ताव।</u>

अनुमोदन समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि ग्राम डुंडाहेड़ा, सेक्टर-21, गुरुग्राम (हरियाणा) में आईटी/आईटीईएस सेज के सहविकासकर्ता मैसर्स कैंडर गुड़गाँव टू डेवलपर्स एण्ड प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. ने सेज में निम्नलिखित डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों को संचालित करने के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था:-

क्रम सं.	अधिकृत प्रचालन का नाम	निर्देश सं. 50 तथा 54 के अनुसार अधिकृत	अनुमानित लागत (रु. लाख में)
(i)	इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवनों का निर्माण।	22	528.37
(ii)	उचित क्षमता के आवश्यक उपकेन्द्रों, पाइपलाइन नेटवर्क आदि सहित विद्युतीय, गैस एवं प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क।		417.63
(iii)	प्रसंस्करण क्षेत्र की एयर कंडीशनिंग	21	222.64
(iv)	स्प्रिंकलर, अग्नि तथा धूम संसूचकों सहित अग्निरोधन प्रणाली।	07	263.09
(v)	जल उपचार संयन्त्र, जल आपूर्ति लाइनों (स्रोत तक सीधी लाइनें), सीवेज लाइनें, झंझा जल निकासी तथा उचित क्षमता के जलाशय।	02	157.61
(vi)	ठोस तथा तरल अपशिष्ट संग्रहण, सीवेज एवं कूड़ाकरकट निस्तारण, सीवेज उपचार संयन्त्र हेतु अन्य आवश्यक अवसंरचना तथा पाइपलाइन सहित उपचार एवं निस्तारण संयन्त्र।	3	108.30
(vii)	एक्सेस नियन्त्रण तथा निगरानी तन्त्र।	24	39.13
(viii)	स्ट्रीट लाइटिंग, सिग्नल तथा साइनेज सहित सड़क।	01	10.50
(ix)	साइट के परिक्षेत्र में प्रवेश, निकास तथा अन्य स्थलों पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस पोस्ट आदि।	11	25.50
(x)	इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित टेलीकॉम तथा अन्य संचार सुविधाएँ।	05	8.00
		कुल :	**1780.77**

श्री जयकुमार, हेड-सेज काम्पलियान्स तथा श्री अमरीक सिंह, एजीएम-सेज सह-विकासकर्ता की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्तावित सामग्रियों की आवश्यकता की व्याख्या की।

पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरान्त अनुमोदन समिति ने "इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवन निर्माण कार्य" (अनुलग्नक-1) नामक अधिकृत प्रचालन के अधीन प्रस्तावित '40000 धोती (क्रम सं. 30)', '100 नग एल्ड्रिन (क्रम सं. 156)' तथा '6000 नग झाड़ू (क्रम सं. 163)' और 'साइट के परिक्षेत्र में प्रवेश, निकास तथा अन्य स्थानों पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस पोस्ट आदि' (अनुलग्नक-9) के अधीन प्रस्तावित '100 नग छाते (क्रम सं. 11)' को छोड़कर प्रस्तावित सामग्रियों की सूची को अनुमोदित कर दिया।

09. ग्राम डुंडाहेड़ा, सेक्टर-21, गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थित आईटी/आईटीईएस सेज के प्रसंस्करण क्षेत्र में 'रेस्टोरेंट' की स्थापना तथा प्रचालन के लिए मैसर्स एसएनजेड कॉन्सेप्ट्स प्रा.लि. को स्थान आवंटित करने हेतु मैसर्स गुडगाँव इन्फोस्पेस लि. का प्रस्ताव।

अनुमोदन समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि मैसर्स गुड़गाँव इन्फोस्पेस लि., विकासकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 21.09.2018 के माध्यम से बीओए द्वारा अनुमोदित 'कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन तथा कैटरिंग सुविधाओं सहित खाद्य सेवाएँ' श्रेणी के अधीन मैसर्स एसएनजेड कॉन्सेप्ट्स प्रा.लि. को ग्राम डुंडाहेड़ा, सेक्टर-21, गुरुग्राम (हरियाणा) में पट्टे के आधार पर भूतल, इकाई सं. 1ए, ब्लॉक 4ए (एमेनिटी ब्लॉक-II) पर 500 वर्ग गज (46.45 वर्ग मीटर) निर्मित स्थान के आवंटन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

यह सूचित किया गया कि विकासकर्ता ने बीओए द्वारा अनुमोदित ऐसी गतिविधियों के क्षेत्रवार विवरण, ऐसी गतिविधियों तथा पट्टे हेतु उपलब्ध शेष क्षेत्र के आवंटन के लिए अनुमोदन समिति द्वारा दिये गये अनुमोदनों का क्षेत्रवार विवरण भी प्रस्तुत किया जो कि निम्नलिखित है:-

क्रम सं.	प्रसंस्करण क्षेत्र में बीओए द्वारा अनुमोदित गतिविधियाँ	बीओए द्वारा अनुमोदित क्षेत्र	सुविधा प्रावधानकर्ताओं द्वारा स्थान के आवंटन हेतु अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित कुल क्षेत्रफल	पट्टे हेतु उपलब्ध कुल क्षेत्रफल
(i)	'कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन तथा कैटरिंग सुविधाओं सहित खाद्य सेवाएँ।	3900 वर्ग मी	3214.83 वर्ग मी	685.17 वर्ग मी
(ii)	क्रैच, चिकित्सा केन्द्र जैसी कर्मचारी कल्याण सुविधाएँ	1750 वर्ग मी	471.57 वर्ग मी	139.01 वर्ग मी

(iii)	शॉपिंग आरकेड/रिटेल स्पेस	300 वर्ग मी	139.01 वर्ग मी	160.99 वर्ग मी

श्री जयकुमार, हेड-सेज काम्पलियान्स, श्री अमरीक सिंह, एजीएम-सेज काम्पलियान्स तथा श्री राकेश राठ सह-विकासकर्ता की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरान्त अनुमोदन समिति ने सेज के प्रसंस्करण क्षेत्र में ऐसी सुविधा संस्थापित करने, प्रचालित करने तथा अनुरक्षण करने के लिए मैसर्स एसएनजेड कॉन्सेप्ट्स को कर/शुल्क लाभ उपलब्ध न कराने तथा मैसस एसएनजेड कॉन्सेप्ट्स् प्रा.लि. को ऐसी सुविधा में सिगरेट एवं मादक पेय उपलब्ध न कराने की शर्त पर प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया।

10. जेनपैक्ट इण्डिया प्रा.लि. से 'एआईजी एनलिटिक्स एण्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' में परिवर्तन करने हेतु निष्पादन की निगरानी और दोनों कम्पनियों के मध्य व्यापार अन्तरण अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने के सन्दर्भ में ग्राम टिकरी, सेक्टर-48, गुरुग्राम (हरियाणा) स्थित मैसर्स कैंडर गुड़गाँव वन रियलिटी प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. की आईटी/आईटीईएस सेज की एक इकाई मैसर्स जेनपैक्ट इण्डिया प्रा.लि. (इकाई-II) का प्रस्ताव।

अनुमोदन समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि ग्राम टिकरी, सेक्टर-48, गुरुग्राम (हरियाणा) स्थित मैसर्स कैंडर गुड़गाँव वन रियलिटी प्रोजेक्ट्स् प्रा.लि. की आईटी/आईटीईएस सेज में स्थित एक इकाई मैसर्स जेनपैक्ट इण्डिया प्रा.लि. (इकाई-II) ने 'जेनपैक्ट इण्डिया प्रा.लि.' से 'एआईजी एनलिटिक्स एण्ड सर्विसेज प्रा.लि.' में उद्यम परिवर्तन के सन्दर्भ में 22.09.2018 को दोनों कम्पनियों के मध्य व्यापार अन्तरण के लिए एलओए सं. 10/70/2013-सेज/9703 दिनांक 19.09.2013 के परिप्रेक्ष्य में उद्यम में परिवर्तन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह सूचित किया गया कि इकाई ने अपने प्रस्ताव में उल्लेख किया था कि जेनपैक्ट इण्डिया प्रा.लि. तथा एआईजी एनलिटिक्स एण्ड सर्विसेज प्रा.लि. (एएएसपीएल) व्यापार अन्तरण अनुबन्ध (बीटीए) करने वाले हैं जिसमें दोनों कम्पनियाँ इस बाद पर सहमत हैं कि जेनपैक्ट इण्डिया प्रा.लि. अपने उपर्युक्त सेज इकाई को बीटीए में उल्लिखित बन्द होने की तिथि (अर्थात 31.12.2018) को तथा से सेज इकाई से सम्बन्धित समस्त परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों सहित अकस्मात बिक्री आधार के अधीन चालू संस्था आधार पर जेनपैक्ट इण्डिया प्रा.लि. अपनी उपर्युक्त सेज इकाई को एएएसपीएल को हस्तान्तरित कर देगा। पुनः इकाई ने उल्लेख किया कि अकस्मात बिक्री आधार पर सेज इकाई के हस्तान्तरण के लिए सेज इकाई के प्रचालन 1 जनवरी, 2019 से एएएसपीएल द्वारा प्रचालित किये जायेंगे। पुनः, एएएसपीएल नवीन उद्यम की क्षमतानुसार सेज नियम, 2006 के नियम 19 के अनुसार जेनपैक्ट इण्डिया को संस्तुत एलओए के नियम एवं शर्तों को मानने के लिए

बाध्य होगा। यह सूचित किया गया आवेदक ने सेज नियम, 2006 के नियम 19(2) के साथ पठित दिनांक 17.05.2018 के निर्देश सं. 89 के अनुरूप अपने निवेदन पर विचार करने का निवेदन किया है। यह सूचित किया गया कि अपने प्रस्ताव के समर्थन में इकाई ने निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं :-

(i) व्यापार अन्तरण अनुबन्ध में लिखित नियम एवं शर्तों के अनुसार दो सेज इकाइयों (इस इकाई तथा बेंगलुरू सेज स्थित एक इकाई सहित) के 'एआईजी एनलिटिक्स एण्ड सर्विसेज प्रा.लि.' में अन्तरण हेतु मैसर्स जेनपैक्ट इण्डिया प्रा.लि. के दिनांक 21.09.2018 के बोर्ड के प्रस्ताव की प्रति तथा कम्पनी की ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में प्रस्ताव की प्रति।

(ii) व्यापार अन्तरण अनुबन्ध में लिखित नियम एवं शर्तों के अनुसार दो सेज इकाइयों (इस इकाई तथा बेंगलुरू सेज स्थित एक इकाई सहित) के अधिग्रहण हेतु मैसर्स एआईजी एनलिटिक्स एण्ड सर्विसेज प्रा.लि. के दिनांक 13.08.2018 के बोर्ड के प्रस्ताव की प्रति तथा कम्पनी की ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के पक्ष में प्रस्ताव की प्रति।

(iii) मैसर्स जेनपैक्ट इण्डिया प्रा.लि. तथा मैसर्स एआईजी एनलिटिक्स एण्ड सर्विसेज प्रा.लि. के मध्य दिनांक 22.09.2018 को हस्ताक्षरित व्यापार अन्तरण अनुबन्ध की प्रति।

(iv) दिनांक 27.10.2018 के इन्कॉर्पोरेशन प्रमाणपत्र की प्रति तथा मैसर्स एआईजी एनलिटिक्स एण्ड सर्विसेज प्रा.लि. के दिनांक 25.03.2015 के अपने नाम परिवर्तन प्रमाणपत्र की प्रति।

(v) मैसर्स एआईजी एनलिटिक्स एण्ड सर्विसेज प्रा.लि. के एमएण्डएओए की प्रति।

(vi) मैसर्स एआईजी एनलिटिक्स एण्ड सर्विसेज प्रा.लि. के 19.09.2018 को शेयरधारिता के विवरण का सीए द्वारा प्रमाणित विवरण नीचे दिया गया है:-

शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	शेयर %
एआईजी पीसी ग्लोबल सर्विसेज इंका.	42520947	99.99%
एआईजी एमईए इन्वेस्टमेंट एण्ड सर्विसेज इंका.	1	0.01%
कुल :	42520948	100.00%

(vii) अपने आईडी/पते के प्रमाण की प्रतियों सहित 20.09.2018 तक मैसर्स एआईजी एनलिटिक्स एण्ड सर्विसेज प्रा.लि. के निदेशकों की सूची:-

- श्री अलैक्जेण्डर जॉन पण्डलाविलकम - आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की प्रति
- श्री मुनीश शर्मा - पासपोर्ट तथा पैन कार्ड की प्रति
- श्री साइमन चार्ल्स ज्यौफ्री मेनेन - पासपोर्ट की प्रति तथा निवास प्रमाणपत्र के रूप में बिजली/पानी के बिल की प्रति।
- श्री सीन फ्रांसिस कोयेल - पासपोर्ट तथा ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति।
- श्री डेविड बेनेट हैल्पेरिन - पासपोर्ट तथा ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति।

इन निदेशकों की नियुक्त हेतु प्रपत्र डीआईआर 12 की प्रतियाँ भी प्रस्तुत की गयीं।

(viii) मैसर्स एआईजी एनलिटिक्स एण्ड सर्विसेज प्रा.लि. द्वारा एक घोषणापत्र कि स्री सीन फ्रांसिस कोयेल, श्री साइमन चार्ल्स ज्यौफ्री मेनेल तथा श्री डेविट बेनेट हैल्पेरिन गैर-निवासी हैं जिनके पास पैन कार्ड नहीं है।

(ix) मैसर्स एआईजी एनलिटिक्स एण्ड सर्विसेज प्रा.लि. के निदेशक श्री मुनीश शर्मा का रु. 101/- के गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर इस आशय का शपथपत्र कि मैसर्स एआईजी एनलिटिक्स एण्ड सर्विसेज प्रा.लि. 01.01.2019 से बीटीए के अनुसार दिनांक 19.09.2013 के एलओए सं. 10/70/2013-सेज/9703 के तहत सेज इकाई का अधिग्रहण करेगा और जेनपैक्ट इण्डिया प्रा.लि. द्वारा अधिग्रहीत कथित सेज इकाई के अन्तरण की वर्तमान तिथि तक समस्त परिसम्पत्तियाँ तथा दायित्व एआईजी एनलिटिक्स एण्ड सर्विसेज प्रा.लि. जारी रखेगा।

(x) मैसर्स एआईजी एनलिटिक्स एण्ड सर्विसेज प्रा.लि. के वित्त वर्ष 2014-15, 2015-16 तथा 1016-17 (गैर-लेखापरीक्षित) की लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की प्रति।

(xi) मैसर्स एआईजी एनलिटिक्स एण्ड सर्विसेज प्रा.लि. के पैन कार्ड सं. AADCC8508P तथा आयात-निर्यात कोड सं. 0715016580 की प्रति।

(xii) मैसर्स जेनपैक्ट इण्डिया प्रा.लि., विकासकर्ता के समर्पण हेतु मैसर्स कैंडर गुड़गाँव वन रियलिटी प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. का दिनांक 27.08.2018 के सहमति-पत्र की प्रति तथा मैसर्स एआईजी एनलिटिक्स एण्ड सर्विसेज प्रा.लि. को इस परिसर के पट्टे की प्रति।

यह पुनः सूचित किया गया कि निम्नलिखित दस्तावेज जमा किये जाने अपेक्षित हैं:-

(i) मैसर्स एआईजी एनलिटिक्स एण्ड सर्विसेज प्रा.लि. के वित्त वर्ष 2016-17 के पूर्ण लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की प्रति जमा की जानी है।

(ii) वसीयत के प्रारूप में नवीन उद्यम से एक घोषणापत्र/उपक्रम की प्रति।

(iii) चौथी मंजिल, भवन सं. 3, 10वीं मंजिल, भवन सं. 1 के परिप्रेक्ष्य में पंजीकृत पट्टा अनुबन्ध की प्रति।

(iv) 10वीं मंजिल, भवन सं. 3 के परिप्रेक्ष्य में पंजीकृत पट्टा अनुबन्ध की प्रति में गलत एलओए संख्या तथा तिथि उल्लिखित की गयी है जिसे इकाई द्वारा जमा किया जाना है।

पुनः यह सूचित किया गया कि अपने प्रारम्भ से इकाई का निष्पादन एपीआर के अनुसार निम्नवत है:-

(रु. लाख में)

वर्ष	निर्यात का एफओबी मूल्य	एनएफई आय	डीटीए विक्रय	लम्बित फोरेक्स पूंजी
2014-15	2472.27	2392.38	0.00	0.00
2015-16	12490.71	12363.78	0.00	0.00
2016-17	24148.28	23977.19	0.00	0.00
2017-18	25948.21	25634.03	0.00	0.00
Total :	**65059.47**	**64367.38**	**0.00**	**0.00**

यह सूचित किया गया कि दिनांक 17.05.2018 के निर्देश सं. 89 के माध्यम से डीओसी ने सेज विकासकर्ताओं के नाम में परिवर्तन तथा सेज इकाई के शेयरधारिता विन्यास के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं। कथित दिशा-निर्देश के पैरा 5(ii) के अनुसार "नाम में परिवर्तन, शेयरधारिता के विन्यास में परिवर्तन, व्यापार अन्तरण व्यवस्थाएँ, न्यायालय द्वारा अनुमोदित मर्जर तथा डीमर्जर, सेज स्थित इकाई के संविधान में परिवर्तन सहित पुनर्संगठन को इस शर्त पर कि इकाई विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर का विकल्प या बाहर होने का विकल्प नहीं चुनेगी तथा चालू संस्था के रूप में कार्यरत रहेगी, इकाई के परिप्रेक्ष्य में अनुमोदन समिति के पूर्व अनुमोदन द्वारा क्रियान्वित किया जा सकेगा। इकाई के समस्त दायित्व ऐसे पुनर्गठन के लिए अपरिवर्तित रहेंगे।"

यह पुनः सूचित किया गया कि कथित दिशा-निर्देश के पैरा 6 के अनुसार निम्नलिखित सुरक्षा मानकों का अनुपालन करना होगा:-

i) परिवर्तित संस्थान हेतु अपरिवर्तित उत्तरदायित्वों तथा दायित्वों सहित सेज गतिविधियों की निर्बाध निरन्तरता।

ii) परिवर्तित संस्थान तथा इसके घटकों द्वारा सुरक्षा अनापत्तियों आदि सहित समस्त प्रयोज्य पात्रता मानदण्ड की पूर्ति।

iii) समस्त राजस्व/कम्पनी मामले/पूँजीगत लाभ, इक्विटी परिवर्तन, अन्तरण, करदेयता आदि सेबी आदि के अधिनियम/नियमों के नियामक की प्रयोज्यता तथा अनुपालन।

iv) इक्विटी में परिवर्तन/मर्जर, डीमर्जर, समामेलन अथवा स्वामित्व के अन्तरण आदि से सम्बन्धित पूर्ण विवरण तुरन्त सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग तथा न्यायिक प्राधिकरण को उपलब्ध करानी होगी।

v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अन्तरण अथवा मर्जर, डीमर्जर, समामेलन, अन्तरण तथा स्वामित्व आदि जो भी प्रयोज्य हो तथा आयकर अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक खण्डों के अधीन कटौती की पात्रता से उत्पन्न लाभ/हानि की करदेयता का निर्धारण करने का अधिकार होगा।

v) आवेदक यथाप्रयोज्य भूमि के पट्टे से सम्बन्धित सहित राज्य सरकार के प्रासंगिक कानूनों का अनुपालन करेगा।

vi) इकाई पैन का विवरण तथा इकाई के न्यायिक कर-निर्धारण अधिकारी का विवरण सीबीडीटी के सम्मुख प्रस्तुत करेगी।

पुनः यह सूचित किया गया कि दिनांक 03.08.2018 के निर्देश संख्या 90 के माध्यम से डीओसी ने पुनः स्पष्ट किया कि विकासकर्ता/सेज इकाई के परिप्रेक्ष्य में कथित दिशा-निर्देश के पैरा 5(i) तथा (ii) के वाक्यांश 'अनुमोदन बोर्ड (बीओए) का पूर्व अनुमोदन/इकाई अनुमोदन समिति (यूएसी)' का अर्थ है कि सेज संस्था/इकाई के सम्मुख लाये गये बीओए/यूएसी, जैसी स्थिति हो, के अनुमोदन को सभी रिकार्डों में नये नाम अथवा ऐसी व्यवस्था द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है। इसका यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि बीओए/यूएसी का पूर्व अनुमोदन रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज अथवा राष्ट्रीय कम्पनी अधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत करना है जैसा कि कुछ मामलों में किया जा रहा है और यह डीओसी के संज्ञान में है।

श्री एम.एच. कुरैशी, निदेशक-मैसर्स जेनपैक्ट इण्डिया प्रा.लि. तथा श्री मनीष गुप्ता, निदेशक तथा श्री पुनीत गुगरेनी, मैसर्स एआईजी एनलिटिक्स एण्ड सर्विसेज प्रा.लि. के सहायक कर-निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरान्त अनुमोदन समिति ने दिनांक 17.05.2018 के निर्देश सं. 89 तथा डीओसी द्वारा निर्गत दिनांक 03.08.2018 के निर्देश संख्या के माध्यम से अनुगामी स्पष्टीकरण के सन्दर्भ में दिनांक 17.05.2018 के निर्देश सं. 89 में निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुपालन की शर्त पर प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया। अनुमोदन समिति ने इकाई द्वारा 31.03.2018 तक सकारात्मक एनएफई आय का भी संज्ञान लिया।

11. <u>ग्राम ग्वाल पहाड़ी, तहसील सोहना, जिला गुरुग्राम (हरियाणा) में अपने आईटी/आईटीईएस सेज में अधिकृत प्रचालन संचालित करने हेतु सामग्रियों की सूची के अनुमोदन के लिए मैसर्स एएसएफ इंसिग्निया सेज प्रा.लि. का प्रस्ताव।</u>

अनुमोदन समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि ग्राम ग्वाल पहाड़ी, जिला गुरुग्राम (हरियाणा) में आईटी/आईटीईएस सेज के विकासकर्ता मैसर्स एएसएफ इंसिग्निया ने अपने सेज में निम्नलिखित

05.10.2018 को एनएसईजेड, नोएडा में आयोजित हरियाणा के एसईजेड की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

डिफाल्ट/अनुमोदित अधिकृत प्रचालनों को संचालित करने हेतु सामग्रियों की सूची के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था:-

क्रम सं.	अधिकृत प्रचालन का नाम	निर्देश सं. 50 तथा 54 के अनुसार अधिकृत प्रचालन की डिफाल्ट सूची पर क्रम सं.	अनुमानित लागत (रु. लाख में)
(i)	उचित क्षमता के आवश्यक उपकेन्द्रों, पाइपलाइन नेटवर्क आदि सहित विद्युतीय, गैस एवं प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क।	04	27.75
(ii)	प्रसंस्करण क्षेत्र की एयर कंडीशनिंग (बीओए द्वारा अनुमोदित के अनुसार)	बीओए द्वारा अनुमोदित	4.00
(iii)	इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवनों का निर्माण।	22	6.20
(iv)	स्प्रिंकलर, अग्नि तथा धूम संसूचकों सहित अग्निरोधन प्रणाली।	07	5.52
(v)	एक्सेस नियन्त्रण तथा निगरानी तन्त्र।	24	9.30
(vi)	विद्युत (पावर बैकअप सुविधाओं सहित) (पीजेड में)	बीओए द्वारा अनुमोदित	80.98
(vii)	ठोस तथा तरल अपशिष्ट संग्रहण, उपचार तथा निस्तारण संयन्त्रों सहित पाइप लाइन एवं सीवेज तथा कूड़ा-करकट निस्तारण, सीवेज उपचार संयन्त्रों हेतु अन्य आवश्यक अवसंरचना।	3	16.00
(viii)	जल उपचार संयन्त्र, जल आपूर्ति लाइनों (स्रोत तक सीधी लाइनें), सीवेज लाइनें, झंझा जल निकासी तथा उचित क्षमता के जलाशय।	02	7.50
(ix)	उचित क्षमता के आवश्यक उपकेन्द्रों, पाइपलाइन नेटवर्क आदि सहित विद्युतीय, गैस एवं प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क।	04	984.75
		कुल :	1142.00

श्री अशोक सिंह, एजीएम विकासकर्ता की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्तावित मदों की आवश्यकता की व्याख्या की। 'उचित क्षमता के आवश्यक उपकेन्द्रों, पाइपलाइन नेटवर्क आदि सहित विद्युतीय, गैस एवं प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क' (अनुलग्नक-I) के अधीन प्रस्तावित मदों के सम्बन्ध में विकासकर्ता के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि सेज के प्रसंस्करण क्षेत्र में 66 केवीए विद्युत उपकेन्द्र संस्थापित करने के लिए ये मदें आवश्यक हैं जिसके लिए अनुमोदन हेतु भवन योजना जमा करने की प्रक्रिया जारी है।

पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरान्त अनुमोदन समिति ने 'उचित क्षमता के आवश्यक उपकेन्द्रों, पाइपलाइन नेटवर्क आदि सहित विद्युतीय, गैस एवं प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क' (अनुलग्नक-I) नामक अधिकृत प्रचालन के अधीन प्रस्तावित विद्युत उपकेन्द्र के परिप्रेक्ष्य में भवन योजना के अनुमोदन के पश्चात ही विकासकर्ता द्वारा खरीद किये जाने की शर्त पर सामग्रियों की प्रस्तावित सूची का अनुमोदन कर दिया।

12. ग्राम घमरोई, सोहना रोड, गुरुग्राम (हरियाणा) में मैसर्स जीटीवी टेक. सेज प्रा.लि. के आईटी/आईटीईएस सेज सहित इलेक्ट्रॉनिक हाडर्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर में स्थित इकाई के निष्पादन की वार्षिक क्षमता तथा निगरानी में विनिर्माण तथा वृद्धि की अतिरिक्त मदों के समावेशन हेतु मैसर्स डेफसिस सॉल्यूशन्स प्रा.लि. का प्रस्ताव।

अनुमोदन समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि निम्नलिखित मदों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस की स्वीकृति हेतु मैसर्स डेफसिस सॉल्यूशन्स प्रा.लि. का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड द्वारा डीओसी के पास विचारार्थ अग्रसारित किया गया:-

(i) इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम (इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर)।
(ii). इलेक्ट्र ऑप्टिक साइट्स, पेलोड तथा पीओडी।
(iii). इलेक्ट्रा ऑप्टिकल बॉक्स असेम्बली तथा टेस्टिंग।
(iv). इन्फ्रारेड सेंसर।
(v). इलेक्ट्रा मैकेनिकल असेम्बली।

यह सूचित किया गया कि अवर सचिव (सेज), डीओसी ने पत्र दिनांक 16.11.2017 के माध्यम से सूचित किया कि मैसर्स डेफसिस सॉल्यूशन्स प्रा.लि. का आवेदन रक्षा उत्पादन विभाग के रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की स्थायी समिति द्वारा विचार किया गया और विनिर्माण की निम्नलिखित मदें रक्षा की दृष्टि से गैर-लाइसेंस योग्य हैं:-

(i) इलेक्ट्रा ऑप्टिक साइट्स।
(ii) इलेक्ट्रा ऑप्टिकल बॉक्स असेम्बली तथा टेस्टिंग, और
(iii) इलेक्ट्रा मैकेनिकल असेम्बली।

05.10.2018 को एनएसईजेड, नोएडा में आयोजित हरियाणा के एसईजेड की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

तदनुसार अनुमोदन समिति ने 05.01.2018 को आयोजित अपनी बैठक (इस कार्यालय के पत्र दिनांक 25.01.2018 द्वारा सूचित) में निम्नलिखित मदों के समावेशन के अनुमोदन को स्वीकृति प्रदान की जो डीओसी के पत्र दिनांक 16.11.2017 के अनुसार रक्षा की दृष्टि से गैर लाइसेंस योग्य और इकाई के प्रोजेक्शन में संशोधन हैं :-

निम्नलिखित का विनिर्माण, असेम्बली तथा परीक्षण :-

(i) इलेक्ट्रा ऑप्टिक साइट्स - 50 नग प्रति वर्ष।
(ii) इलेक्ट्रा ऑप्टिक बॉक्स असेम्बली एवं टेस्टिंग - 50 नग प्रति वर्ष।
(iii) इलेक्ट्रा मैकेनिकल असेम्बली - 70 नग प्रति वर्ष।

यह पुन: सूचित किया गया कि अनुमोदन बोर्ड ने 19.06.2018 को आयोजित अपनी 83वीं बैठक में आईडीआर अधिनियम, 1951 के अधीन 'इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम (इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर), थर्मल सेंसर तथा इन्फ्रारेड सेंसर, सिमुलेटर' के विनिर्माण तथा निर्यात हेतु औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए मैसर्स जीटीवी टेक सेज प्रा.लि. (पूर्व का डॉ. फ्रेश हेल्थ केयर प्रा.लि.) गुरुग्राम (हरियाणा) की आईटी/आईटीईएस सेज सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर में एक इकाई मैसर्स डेफसिस सॉल्यूशन्स प्रा.लि. का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया बशर्ते रक्षा उत्पादन विभाग के दिनांक 01.02.2017 के क्यू.एम. सं. 1(90)/2016/डी(डीआईपी) तथा गृह मन्त्रालय के दिनांक 20.09.2017 के क्यू.एम. सं. 11/20034/543/2016-आईएस-II की निर्धारित शर्तों का अनुपालन हो। बीओए का अनुमोदन मैसर्स डेफसिस सॉल्यूशन्स प्रा.लि. की एक प्रति के साथ 19.07.2018 के डीओसी पत्र सं. 13/9/आईएल/2015-ईओयू के माध्यम से भेजा जा चुका है। फिर भी यह सूचित किया गया कि 'पेलोड तथा पॉड्स' के परिप्रेक्ष्य में डीओसी से अनुमोदन नहीं प्राप्त हुआ है।

यह पुन: सूचित किया गया कि बीओए का अनुमोदन 'इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम (इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर), थर्मल सेंसर तथा इन्फ्रारेड सेंसर, सिमुलेटर' की प्रस्तावित वार्षिक क्षमता तथा निर्यात/एनएफई प्रोजेक्शन एवं अतिरिक्त पूँजीगत माल की आवश्यकता/कच्चा माल, यदि कोई हो, के विवरण सहित निर्धारित प्रारूप में जमा करने के निवेदन को इकाई के पास भेज दिया गया है।

यह सूचित किया गया कि इकाई ने अपने पत्र दिनांक 17.08.2018 के माध्यम से 'इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम (इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर), थर्मल सेंसर तथा इन्फ्रारेड सेंसर, सिमुलेटर' की वार्षिक क्षमता निम्नवत प्रस्तुत कर दी थी:-

05.10.2018 को एनएसईजेड, नोएडा में आयोजित हरियाणा के एसईजेड की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

क्रम सं.	मद का विवरण	एनआईसी कोड 2008	प्रस्तावित वार्षिक क्षमता
1.	इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम (इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर)	26109	50 नग
2.	इलेक्ट्रो ऑप्टिक साइट्स, पेलोड तथा पॉड	26515	80 नग
3.	इलेक्ट्रो ऑप्टिक बॉक्स, असेम्बली तथा परीक्षण	26700	50 नग
4.	इन्फ्रारेड सेंसर	26100	50 नग
5.	इलेक्ट्रो मैकेनिकल असेम्बली	26109	100 नग

यह सूचित किया गया कि इकाई ने सूचित किया कि निर्यात/एनएफई प्रोजेक्शन तथा उनके द्वारा निर्माण की जाने वाली इन नयी मदों के समावेशन सहित कच्चे माल में कोई परिवर्तन नहीं है। वर्तमान तथा विनिर्माण की संशोधित मदें/वार्षिक क्षमता निम्नलिखित है:-

वर्तमान अधिकृत प्रचालन	संशोधित अधिकृत प्रचालन
1). निम्नलिखित का निर्माण: (i)इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स असेम्बली - 300 नग प्रतिमाह। (ii) इलेक्ट्रॉनिक पीसीबीए-5000 नग। (iii) इलेक्ट्रॉनिक केबल तथा हार्नेस - 5000 नग प्रतिमाह (iv) इलेक्ट्रॉनिक कैमरा-100 नग प्रतिमाह (v) इलेक्ट्रॉनिक आटोमेटिक टेस्ट उपकरण - 150 नग प्रतिमाह। (vi) पैकिंग बॉक्स तथा केस-200 नग प्रतिमाह। 2). इकाई द्वारा निर्मित किये जाने वाले उत्पादों के परिप्रेक्ष्य में सेवाओं का प्रावधान। 3).अपने सम्भावित ग्राहकों को अभियान्त्रिक तथा डिजाइन सेवाएँ प्रदान करना (जो रक्षा उपकरण के मूल उपकरण निर्माता/ओईएम हैं) 4).निम्नलिखित का निर्माण, असेम्बल तथा परीक्षण :- (i)इलेक्ट्रो ऑप्टिक साइट्स-50 नग प्रति वर्ष। (ii) इलेक्ट्रो ऑप्टिक बॉक्स असेम्बली एवं परीक्षण-50 नग प्रति वर्ष (ii) इलेक्ट्रो मैकेनिकल असेम्बली-70 नग प्रति वर्ष।	1). निम्नलिखित का विनिर्माण : (i) इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स असेम्बली - 300 नग प्रतिमाह। (ii) इलेक्ट्रॉनिक पीसीबीए-5000 नग। (iii) इलेक्ट्रॉनिक केबल तथा हार्नेस - 5000 नग प्रतिमाह (iv) इलेक्ट्रॉनिक कैमरा-100 नग प्रतिमाह (v) इलेक्ट्रॉनिक आटोमेटिक टेस्ट उपकरण - 150 नग प्रतिमाह। (vi) पैकिंग बॉक्स तथा केस-200 नग प्रतिमाह। 2).इकाई द्वारा निर्मित किये जाने वाले उत्पादों के परिप्रेक्ष्य में सेवाओं का प्रावधान। 3) अपने सम्भावित ग्राहकों को अभियान्त्रिक तथा डिजाइन सेवाएँ प्रदान करना (जो रक्षा उपकरण के मूल उपकरण निर्माता/ओईएम हैं) 4).निम्नलिखित का निर्माण, असेम्बल तथा परीक्षण :- (i)इलेक्ट्रो ऑप्टिक साइट्स-80 नग प्रति वर्ष। (ii) इलेक्ट्रो ऑप्टिक बॉक्स असेम्बली एवं परीक्षण-50 नग प्रति वर्ष (iii) इलेक्ट्रो मैकेनिकल असेम्बली-100 नग प्रति वर्ष। **5) इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम (इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर)-50 नग** **6) थर्मल सेंसर, सिमुलेटर-50 नग**

यह पुनः सूचित किया गया कि अपने आरम्भ से इकाई का निष्पादन सीए फर्म, एनएसईजेड द्वारा प्रमाणित एपीआर के अनुसार निम्नलिखित है:-

(रु. लाख में)

वर्ष	निर्यात का एफओबी मूल्य	एनएफई आय	डीटीए विक्रय	लम्बित फोरेक्स पूंजी
2015-16	74.45	52.79	12.57	1.89
2016-17	3726.67	(-)275.35	0.00	1.89
2017-18	27265.84	6434.67	2505.00	0.00
कुल :	**31066.96**	**6212.11**	**2517.57**	**1.89**

श्री समर भार्गव, उपाध्यक्ष तथा श्री योगेन्द्र मित्तल, महाप्रबन्धक इकाई की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात अनुमोदन समिति ने दिनांक 07.11.2014 के एलओए में वार्षिक क्षमता में निर्माण तथा वृद्धि की मद के समावेशन सहित प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। अनुमोदन समिति ने 31.03.2018 तक इकाई की सकारात्मक एनएफई आय का भी संज्ञान लिया। पुनः, अनुमोदन समिति ने 'पेलोड तथा पॉड' के अनुमोदन से सम्बन्धित एक सन्दर्भ डीओसी के पास उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

13. ग्राम डुंडाहेड़ा, सेक्टर-21, गुरुग्राम (हरियाणा) के मैसर्स गुड़गाँव इन्फोस्पेस लि. के आईटी/आईटीईएस सेज में स्थित इकाई के आयातित पूँजीगत माल के मूल्य में वृद्धि हेतु मैसर्स सैपिएन्ट कंसल्टिंग प्रा.लि. (इकाई-I) का प्रस्ताव।

अनुमोदन समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि मैसर्स सैपिएन्ट कंसल्टिंग प्रा.लि. (इकाई-I) ने ग्राम डुंडाहेड़ा, सेक्टर-21, गुरुग्राम (हरियाणा) में मैसर्स गुड़गाँव इन्फोस्पेस लि. के आईटी/आईटीईएस सेज स्थित एक इकाई के आयातित माल में वृद्धि तथा प्रोजेक्शन में संशोधन हेतु प्रस्ताव जमा किया था जो कि निम्नलिखित है:-

विवरण	वर्तमान प्रोजेक्शन	संशोधित प्रोजेक्शन
निर्यातों का अनुमानित एफओबी मूल्य	230902.12	228607.55
विदेशी विनिमय का बाहर जाना	15084.99	11048.20
5 वर्ष की अवधि में एनएफई	215817.13	217559.35
आयातित पूँजीगत माल	4310.96	5009.47
स्वदेशी पूँजीगत माल	731.22	731.22

यह सूचित किया गया कि निर्धारित प्रारूप में वर्तमान तथा संशोधित प्रोजेक्शन का विवरण दिया जाना अपेक्षित है।

श्री नीरज मित्तल, निदेशक तथा श्री विशाल अग्रवाल, प्रबन्धक इकाई की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरान्त अनुमोदन समिति ने निर्धारित प्रारूप में वर्तमान तथा संशोधित प्रोजेक्शनों को जमा करने की शर्त पर आयातित पूँजीगत माल के मूल्य में वृद्धि करने का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।

14. ग्राम डुंडाहेड़ा, सेक्टर-21, गुरुग्राम (हरियाणा) स्थित मैसर्स गुड़गाँव इन्फोस्पेस के आईटी/आईटीईएस सेज में अपनी दूसरी इकाई (शाखा कार्यालय) की स्थापना हेतु मैससई ईयूआई लिमिटेड का प्रस्ताव।

अनुमोदन समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि मैसर्स ईयूआई लिमिटेड ने ग्राम टिकरी, सेक्टर-48, गुरुग्राम (हरियाणा) में मैसर्स गुड़गाँव इन्फोस्पेस लि. के आईटी/आईटीईएस सेज में चौथी मंजिल, टॉवर-बी, भवन सं. 6 में 32106 वर्ग फीट के क्षेत्र पर अपनी दूसरी इकाई (शाखा कार्यालय) की संस्थापना हेतु पाँच वर्ष की अवधि के लिए रु. 14604 लाख के अनुमानित निर्यात तथा रु. 14319 लाख की संचयी एनएफई के साथ सेवा गतिविधियों के प्रचालन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

यह भी सूचित किया गया कि आवेदक ने आयातित माल के लिए रु. 85.49 लाख, स्वदेशी पूँजीगत माल के लिए 695.89 लाख के निवेश का प्रस्ताव किया और परियोजना की अन्य लागत मुख्य कायार्लय से प्राप्त पूँजी और आईटी सक्रिय सेवाओं के निर्यात से प्राप्त आन्तरिक संग्रहण से पूरी की जायेंगी। पुनः यह सूचित किया गया कि सेज विकासकर्ता ने आवेदक को प्रस्तावित स्थान के आवंटन हेतु प्रावधानात्मक प्रस्ताव दिया है ।

यह सूचित किया गया कि निम्नलिखित दस्तावेज/सूचना जमा की जानी अपेक्षित है जिसकी सूचना आवेदक को दे दी गयी है:-

1. ऑनलाइन प्रपत्र-एफ में विसंगतियाँ:-
   - (i) प्रस्तावित अधिकृत प्रचालन/सेवा गतिविधियाँ प्रपत्र-एफ के पैरा V में उल्लिखित नहीं हैं। यद्यपि परियोजना प्रतिवेदन में आवेदक ने उल्लेख किया है कि भारतीय शाखा में प्रकार्य (ईयूआई इण्डिया) बैक ऑफिस ऑपरेशन तथा काल सेंटर सेवाओं की प्रकृति में आईटी समर्थित सेवाएँ हैं।
   - (ii) विदेशी धारिता का विवरण प्रपत्र-एफ के पैरा X(1)(ii)(a) में दिया जाना अपेक्षित है।
   - (iii) 3500 किलो लीटर पानी की आवश्यकता उच्च पक्ष में प्रतीत होती है अतः इसकी पुनः जाँच की आवश्यकता है।
2. इन्कॉर्पोरेशन के प्रमाणपत्र तथा कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की प्रति जमा नहीं की गयी है।
3. रु. 285 लाख के प्रस्तावित फोरेक्स आउटगो का ब्रेकअप दिया जाना अपेक्षित है। आवेदक ने रु. 370 लाख का ब्रेकअप जमा किया है।
4. श्री जेम्स हैमिल्टन आर्मस्ट्रांग, श्री जेरैन्ट एलन जोन्स तथा श्री मार्क्स रॉबर्ट वाटर्स नाम के निदेशकों की नियुक्ति हेतु प्रपत्र एफ-2 की प्रति जमा की जानी वांछित है।
5. श्री मार्क्स रॉबर्ट वाटर्स, श्री जेम्स हैमिल्टन आर्मस्ट्रांग तथा श्री जेरिएन्ट एलन जोन्स नामक निदेशकों के पासपोर्ट तथा आवासीय पते की प्रतियाँ जमा नहीं की गयी हैं।
6. प्रपत्र-एफ में उल्लिखित श्री डेविड कीथ मराइस के आवासीय पते में भिन्नता पायी गयी तथा उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पाया गया।

अनुमोदन समिति ने देखा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत 31 मार्च, 2016 की अधिसूचना सं. फेमा 22(आर)/आरबी-2016 के अनुसार गैर-भारतीय कम्पनियों को विनिर्माण तथा सेवा गतिविधियों के प्रचालन हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) में बीओ की संस्थापना के लिए एक सामान्य अनुमति की आवश्यकता है बशर्ते निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाये:-

(i) ऐसे शाखा कार्यालय उन क्षेत्रों में कार्यरत हैं जहाँ 100% एफडीआई की अनुमति है;

(ii) ऐसे शाखा कार्यालय कम्पनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI का अनुपालन करते हैं; तथा

(iii) ऐसे शाखा कार्यालय स्टैण्ड-अलोन आधार पर कार्यरत हों।

तदनुसार, यदि कोई विदेशी कम्पनी किसी सेज में बीओ स्थापित करना चाहती है तो सेज नियम, 2006 के नियम 17 एवं 18 के अधीन सेज इकाई स्थापित करने के लिए इसकी अनुमति केवल न्यायिक विकास आयुक्त से प्राप्त करनी वांछित है। किसी विदेशी कम्पनी द्वारा सेज में बीओ स्थापित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:-

सेज इकाई की स्थापना हेतु न्यायिक सेज प्राधिकरण से कम्पनी को अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

- *कम्पनी को उपर्युक्त अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एडी बैंक के पास सूचना देनी होगी।*

एडी बैंक आरबीआई को सूचित करेगा और कम्पनी को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नम्बर जारी किया जायेगा।

कम्पनी को भारत में व्यापार के स्थान को स्थापित करने के लिए प्रपत्र एफसी-2 जमा करना होगा।

- *विदेशी कम्पनी पंजीकरण संख्या सहित आरओसी को इन्कॉर्पोरेशन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, तथा*

कम्पनी को पैन, टैन, जीएसटी तथा आईईसी, जो प्रयोज्य हो, आदि अन्य पंजीकरण प्राप्त करने होंगे।

पुन: शाखा कार्यालय स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वार्षिक अनुपालन (सेज विनियमों के अतिरिक्त) पूरे किये जाने अपेक्षित हैं:-

एडी बैंक के पास वार्षिक गतिविधि प्रमाणपत्र जमा करना।
आयकर महानिदेशक के पास वार्षिक गतिविधि प्रमाणपत्र जमा करना।
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के पास वार्षिक लेखे तथा व्यापार स्थल की जानकारी देना, तथा

- *आयकर विभाग के पास आयकर विवरणी।*

सुश्री श्वेता सिंह, कंट्री हेड, श्री विकास कुमार प्रबन्धक-सुविधाएँ तथा श्री हितेन्द्र मेहता, परामर्शदाता आवेदक इकाई की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात अनुमोदन समिति ने इस शर्त पर प्रस्ताव अनुमोदित किया कि आवेदक इकाई अपेक्षित दस्तावेज जमा करेगी और इकाई आरबीआई द्वारा 31 मार्च, 2016 को निर्गत अधिसूचना सं. फेमा 22(आर)/आरबी-2016 में उल्लिखित प्रावधानों/अनुपालनों का अनुपालन करेगी। अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रतिनिधि को आरओसी द्वारा जारी विदेशी कम्पनी पंजीकरण संख्या सहित इन्कार्पोरेशन के प्रमाणपत्र की प्रति तथा ग्राम डुंडाहेड़ा, सेक्टर-21, गुरुग्राम (हरियाणा) में गुड़गाँव इन्फोस्पेस लि. आईटी/आईटीईएस सेज में अपनी वर्तमान इकाई (शाखा कार्यालय) के परिप्रेक्ष्य में आरबीआई द्वारा जारी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नम्बर की एक प्रति जमा करने का निर्देश दिया।

15. मैसर्स मिकाडो रियेलटर्स प्रा.लि. के ग्राम बेहरामपुर, जिला गुरुग्राम (हरियाणा) में 10.221 हेक्टेयर भूमि पर इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर, आईटी/आईटीईएस सेज की संशोधित भवन योजना का अनुमोदन।

अनुमोदन समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि जिला नगर नियोजक (एचक्यू), कार्यालय डीटीसीपी हरियाणा, चण्डीगढ़ ने दिनांक 27.09.2018 के अपने मेमो सं. सेज-56/एडी(आरए)/2018/27879 के माध्यम से **मैसर्स मिकाडो रियेलटर्स प्रा.लि. के ग्राम बेहरामपुर, जिला गुरुग्राम (हरियाणा) में 10.221 हेक्टेयर भूमि पर इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर, आईटी/आईटीईएस सेज की संशोधित भवन योजना के अनुमोदन पर अपनी संस्तुत अग्रसारित कर दी थी। यह सूचित किया गया कि डीटीपी (एचक्यू) ने सुझाव दिया कि दिनांक 27.09.2018 के अपने उपर्युक्त मेमो में उल्लिखित शर्तों के साथ संशोधित भवन योजना को अनुमोदित किया जा सकता है। पुनः यह सूचित किया गया कि प्रमाणित भवन योजना के तीन सेट दिनांक 27.09.2018 के मेमो के साथ भी प्राप्त किये गये हैं।**

श्री महिपाल सिंह, डीटीपी(पी), गुरुग्राम, प्रतिनिधि कार्यालय डीटीसीपी हरियाणा, चण्डीगढ़ ने उपर्युक्त भवन योजना के अनुमोदन को अपनी सहमति दे दी है।

पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरान्त अनुमोदन समिति ने दिनांक 27.09.2018 के मेमो सं. सेज56/एडी(आरए)/2018/27879 के माध्यम से जिला नगर नियोजक (एचक्यू) कार्यालय डीटीसीपी हरियाणा, चण्डीगढ़ के सुझावों के आधार पर **मैसर्स मिकाडो रियेलटर्स प्रा.लि. के ग्राम बेहरामपुर, जिला गुरुग्राम (हरियाणा) में 10.221 हेक्टेयर भूमि पर इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर, आईटी/आईटीईएस सेज की संशोधित भवन योजना को अनुमोदित कर दिया बशर्ते दिनांक 27.09.2018 के उपर्युक्त मेमो में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन हो।**

16. <u>ग्राम बेहरामपुर, बंधवाड़ी तथा बलोला, जिला गुरुग्राम (हरियाणा) में इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर तथा आईटी/आईटीईएस सेज में अधिकृत प्रचालन संचालित करने हेतु सामग्रियों की सूची के अनुमोदन के लिए मैसर्स जी.पी. रियेलटर्स प्रा.लि. (आईआरईओ) का प्रस्ताव।</u>

अनुमोदन समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि **ग्राम बेहरामपुर, बंधवाड़ी तथा बलोला, जिला गुरुग्राम (हरियाणा) में** आईटी/आईटीईएस सेज के विकासकर्ता मैसर्स रियेलटर्स प्रा.लि. ने अपने सेज में निम्नलिखित डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों को संचालित करने के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव जमा किया था:-

क्रम सं.	अधिकृत प्रचालन	निर्देश सं. 50 तथा 54 के अनुसार अधिकृत प्रचालन की डिफाल्ट सूची पर क्रम सं.	अनुमानित लागत (रु. लाख में)
(i)	उचित क्षमता के आवश्यक उपकेन्द्रो, पाइपलाइन नेटवर्क आदि सहित विद्युतीय, गैस एवं प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क।	04	7.60
(ii)	स्ट्रीट लाइटिंग, सिग्नल तथा साइनेज सहित सड़क।	01	8.08
(iii)	इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवन का निर्माण।	22	20.90
		कुल :	36.58

श्री नीलेश रामिजयानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विकासकर्ता की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्तावित मदों की आवश्यकता की व्याख्या की।

पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरान्त अनुमोदन समिति ने सामग्रियों की प्रस्तावित सूची को अनुमोदित कर दिया।

17. निष्पादन की निगरानी तथा सेज योजना से बाहर होने के लिए विचार हेतु डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स लि. आईटी/आईटीईएस सेज, गुरुग्राम में एक इकाई मैसर्स लेक्सइनोवा टेक्नोलॉजीज प्रा.लि. (जिसका नाम परिवर्तित होकर ली कंसल्टिंग प्रा.लि. हो गया) के प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में।

अनुमोदन समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि इकाई द्वारा 05.07.2018 को अपने ई-मेल के माध्यम से जमा की गयी लम्बित फोरेक्स पूंजी का नवीनतम विवरण निष्पादन की निगरानी तथा सेज से बाहर होने पर विचार करने के लिए 06.07.2018 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यह सूचित किया गया कि बैठक के दौरान इकाई के प्रतिनिधि को सूचित किया गया कि वे यथाशीघ्र अपने ग्राहकों से बकाया धन वसूलने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें लम्बित राशि प्राप्त होने की आशा भी है और इसके लिए उन्हें न्यूनतम दो वर्ष की अवधि चाहिए। पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरान्त अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया और वांछित दस्तावेजी प्रमाण को जमा करने के लिए पुन: दो माह का समय दिया जिसमें असफल रहने पर विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1992 के अधीन निर्यात कार्यवाहियों की वसूली न होने के लिए कारण बताओ सूचना जारी की जा सकती है। यह सूचित किया गया कि अनुमोदन समिति के इस निर्णय को दिनांक 24.07.2018 के कार्यालयी पत्र द्वारा इकाई को सूचित कर दिया गया।

यह सूचित किया गया इसी बीच दिनांक 28.08.2018 के ई-मेल तथा दिनांक 05.09.2018 तथा 27.09.2018 के ई-मेल के माध्यम से इकाई ने सूचित किया कि उन्होंने अपने ग्राहक "लेक्सइनोवा टेक्नोलॉजीज एलएलसी" से 1892260 अमेरिकी डॉलर का सम्पूर्ण भुगतान प्राप्त कर लिया है। यह सूचित किया गया कि इकाई ने 1622259.62 डॉलर (बैंक प्रभार सहित) की हालिया राशि के विरुद्ध लेक्सइनोवा टेक्नोलॉजीज एलएलसी के परिप्रेक्ष्य में सर्टिफिकेट्स ऑफ फॉरेन इनवार्ड रेमिटेंस (एफआईआरसी) की प्रतियाँ जमा कर दी थीं। इकाई ने उल्लेख किया कि उन्होंने भुगतान के विलम्ब के लिए क्षमा हेतु बैंक के पास एफआईआरसी की प्रतियाँ जमा कर दी हैं। यह पुन: सूचित किया गया कि अपने निम्नलिखित ग्राहकों की

05.10.2018 को एनएसईजेड, नोएडा में आयोजित हरियाणा के एसईजेड की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

वर्तमान बकाया राशि निम्नलिखित है:-

नाम	राशि		इकाई द्वारा जमा
	अमेरिकी डॉलर	भारतीय रुपया	
मैसर्स कैचिंको, अमेरिका	7500	506400/-	इकाई ने सूचित किया कि सेवा गुणवत्ता मुद्दे के कारण वे इस भुगतान को प्राप्त करने में अक्षम हैं। वे इस इनवॉयस को पूर्व आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी पुस्तिका में निकृष्ट ऋण के रूप में देखेंगे। आरबीआई के प्रावधानों के अनुसार यह राशि राइट-ऑफ हो रही है।
मैसर्स मार्क बुकमैन अमेरिका	25000	1688000/-	इकाई ने सूचित किया कि सेवा गुणवत्ता मुद्दे के कारण वे इस भुगतान को प्राप्त करने में अक्षम हैं। वे इस इनवॉयस को पूर्व आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी पुस्तिका में निकृष्ट ऋण के रूप में देखेंगे। आरबीआई के प्रावधानों के अनुसार यह राशि राइट-ऑफ हो रही है।

मैसर्स ग्रेहाउण्ड आईपी, अमेरिका	16264	1098145/-	इकाई ने सूचित किया कि उन्होंने बैंक को अपनी पुस्तिका में निकृष्ट ऋण के रूप में देखने का पहले ही निवेदन कर दिया है।
मैसर्स जेबीबी कॉर्पोरेशन, हांगकांग	309009	20864288/-	इकाई ने सूचित किया कि उन्होंने बैंक को अपनी पुस्तिका में निकृष्ट ऋण के रूप में देखने का पहले ही निवेदन कर दिया है।
कुल :	357773	2,41,56,833/-	

यह सूचित किया गया कि इकाई ने दिनांक 28.08.2018 के अपने ई-मेल में उल्लेख किया था कि वे उपर्युक्त निकृष्ट ऋण के दावे हेतु आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अपने एडी बैंक से सम्पर्क बनाये हुए हैं। इकाई ने आरबीआई से अनुमति प्राप्त करने के लिए बैंक के सम्पर्क में रहने हेतु एक माह के समय की अनुमति माँगी है।

श्री सिद्धार्थ गुप्ता, अधिकृत व्यक्ति इकाई की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने **आरबीआई से अनुमति प्राप्त करने के लिए बैंक के सम्पर्क में रहने हेतु एक माह के अतिरिक्त समय की अनुमति माँगी।**

अनुमोदन समिति ने पाया कि रु. 2,41,56,833/- की राशि अब भी वसूली के लिए लम्बित है। इकाई इन दीर्घकालीन लम्बित फोरेक्स राशि की वसूली की स्थिति में नहीं है। अनुमोदन समिति ने स्पष्ट किया कि सेज नियम, 2006 के नियम 80 (दिनांक 19.09.2018 की अधिसूचना के माध्यम से समाविष्ट) के अनुसार, "यदि वास्तविक दोष की स्थिति में कोई विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई न्यूनतम निर्दिष्ट सकल विदेशी विनिमय अथवा निर्दिष्ट मूल्य वर्धन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस दोष को नि:शुल्क बोर्ड मूल्य में पड़ने वाले शार्ट फॉल के एक प्रतिशत की राशि इकाई द्वारा जमा करने के उपरान्त विनियमित किया जा सकता है।" अत: इकाई की रु. 2,41,56,833/- की लम्बित फोरेक्स वसूली को एफओबी निर्यात मूल्य में शॉर्टफॉल के रूप में लिया जा सकता है।

अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रतिनिधि को सूचित किया कि विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1992 की धारा 11(4) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन स्वीकार कर लेता है तो ऐसे मामले का समाधान के लिए जुर्माने का प्रावधान है।

इकाई के प्रतिनिधियों ने इकाई द्वारा लम्बित फोरेक्स पूंजी में त्रुटि के कारण एफटी(डीएण्डआर)

अधिनियम, 1992 की धारा 11(4) के अनुसार इस मामले को सुलझाने पर सहमत हुए।

पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरान्त अनुमोदन समिति के अन्य सदस्यों के परामर्श से विकास आयुक्त ने यथासंशोधित विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1992 के अनुसार रु. 2,41,568/- (अर्थात रु. 2,41,56,833/- की लम्बित विदेशी पूंजी के 1% की दर पर) का जुर्माना लगाया।

पुनः अनुमोदन समिति ने निर्णय लिया कि सेज योजना से बाहर निकलने का इकाई के प्रस्ताव पर इकाई से जुर्माने की राशि वसूल करने के उपरान्त फाइल पर विचार किया जा सकता है।

18. ग्राम टिकरी, सेक्टर-48 गुरुग्राम (हरियाणा) में अधिकृत प्रचालनों के संचालन हेतु अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त सेवाओं की पुनरुक्ति हेतु मैसर्स कैंडर गुड़गाँव वन रियलिटी प्रोटेक्ट्स प्रा.लि., विकासकर्ता का प्रस्ताव।

अनुमोदन समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि ग्राम टिकरी, सेक्टर-48, गुरुग्राम (हरियाणा) में आईटी/आईटीईएस सेज के विकासकर्ता मैसर्स कैंडर वन रियलिटी प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. ने जीएसटी शासन के सम्मुख अनुमोदन समिति से निम्नलिखित अतिरिक्त सेवाओं का अनुमोदन प्राप्त कर लिया था:-

अनुमोदित अतिरिक्त सेवाएँ	यूएसी कोड
1. व्यापार समर्थक सेवाएँ। 2. वाणिज्यिक/औद्योगिक भवन/पाइपलाइन/कंडुइट सेवाओं का निर्माण अथवा नवीकरण। 3. रियल एस्टेट एजेन्ट सेवाएँ। **4.** अचल सेवाएँ भाड़े पर। 5. वायु संसाधन द्वारा माल का परिवहन। 6. रेल संसाधन द्वारा माल का परिवहन। 7. क्रैच सेवाएँ।	पत्र दिनांक 05.09.2013 के माध्यम से प्रेषित तथा 26.08.2013 को आयोजित यूएसी द्वारा अनुमोदित।
8. व्यापार अनुषंगी सेवाएँ।	पत्र दिनांक 10.09.2015 के माध्यम से प्रेषित तथा 04.09.2015 को आयोजित यूएसी द्वारा अनुमोदित।
9. प्रबन्धन या व्यापारिक सलाहकार सेवाएँ।	पत्र दिनांक 14.10.2015 के माध्यम से प्रेषित तथा 07.10.2015 को आयोजित यूएसी द्वारा अनुमोदित।

यह सूचित किया गया कि क्रम सं. 1, 2, 4, 5, 6 पर उल्लिखित सेवाएँ उन 66 नग सेवाओं की डिफाल्ट सूची के अधीन कवर हैं जिसके लिए बीओए द्वारा पुनरुक्ति अनुमोदित की गयी। विकासकर्ता ने निम्नलिखित अनुमोदित अतिरिक्त सेवाओं की पुनरुक्ति अनुमोदित करने का निवेदन किया है:-

(i) व्यापार अनुषंगी सेवाएँ।
(ii) प्रबन्धन या व्यापार सलाहकार सेवाएँ।
(iii) रियल एस्टेट एजेन्ट सेवाएँ।

श्री जय कुमार, हेड-सेज काम्पलियान्स तथा श्री अमरीक सिंह, एजीएम-सेज विकासकर्ता की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और जीएसटी के तहत उपर्युक्त 03 नग अतिरिक्त सेवाओं की पुनरुक्ति हेतु निवेदन किया।

अनुमोदन समिति ने स्पष्ट किया कि ये अतिरिक्त सेवाएँ अनुमोदन समिति द्वारा पहले से ही अनुमोदित कर दी गयी थीं अतः ऐसी सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में किसी पुनरुक्ति की आवश्यकता नहीं है। अनुमोदन समिति ने पुनः स्पष्ट

किया कि वे अतिरिक्त सेवाएँ जिन्हें 66 नग डिफाल्ट सेवाओं के अतिरिक्त सेज विकासकर्ता/सह-विकासकर्ता/इकाइयों के परिप्रेक्ष्य में जीएसटी शासन के सम्मुख अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था वे जीएसटी क्रियान्वयन के पश्चात भी वैध रहेंगी और इन सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में किसी पुनरुक्ति की आवश्यकता नहीं है।

19. ग्राम डुंडाहेरा, सेक्टर-21, गुरुग्राम (हरियाणा) में मैसर्स गुड़गाँव इन्फोस्पेस लि. के आईटी/आईटीईएस सेज में अधिकृत प्रचालन संचालित करने हेतु अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित अतिरिक्ति सेवाओं की पुनरुक्ति हेतु सह-विकासकर्ता मैसर्स कैंडर गुड़गाँव टू डेवलपर्स एण्ड प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. का प्रस्ताव।

अनुमोदन समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि ग्राम डुंडाहेरा, सेक्टर-21, गुरुग्राम (हरियाणा) में मैसर्स गुड़गाँव इन्फोस्पेस लि. के आईटी/आईटीईएस सेज के सह-विकासकर्ता मैसर्स कैंडर गुड़गाँव टू डेवलपर्स एण्ड प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. ने जीएसटी शासन के सम्मुख अनुमोदन समिति से निम्नलिखित अतिरिक्त सेवाओं का अनुमोदन प्राप्त कर लिया था:-

अनुमोदित अतिरिक्त सेवाएँ	यूएसी कोड
1, व्यापार समर्थक सेवाएँ। 2. वाणिज्यिक/औद्योगिक भवन/पाइपलाइन/कंडुइट सेवाओं का निर्माण अथवा नवीकरण। 3. रियल एस्टेट एजेन्ट सेवाएँ। 4. अचल सेवाएँ भाड़े पर। 5. वायु संसाधन द्वारा माल का परिवहन। 6. रेल संसाधन द्वारा माल का परिवहन। 7, क्रैच सेवाएँ।	पत्र दिनांक 05.09.2013 के माध्यम से प्रेषित तथा 26.08.2013 को आयोजित यूएसी द्वारा अनुमोदित।
8. व्यापार अनुषंगी सेवाएँ।	पत्र दिनांक 10.09.2015 के माध्यम से प्रेषित तथा 04.09.2015 को आयोजित यूएसी द्वारा अनुमोदित।
9. प्रबन्धन या व्यापारिक सलाहकार सेवाएँ।	पत्र दिनांक 14.10.2015 के माध्यम से प्रेषित तथा 07.10.2015 को आयोजित यूएसी द्वारा अनुमोदित।

यह सूचित किया गया कि क्रम सं. 1, 2, 4, 5, 6 पर उल्लिखित सेवाएँ 66 नग की डिफाल्ट सूची के तहत कवर हैं जिसके लिए बीओए द्वारा पुनरुक्ति अनुमोदित की गयी है। सह-विकासकर्ता ने निम्नलिखित अनुमोदित अतिरिक्त सेवाओं की पुनरुक्ति के लिए निवेदन किया है:-

(i) व्यापार अनुषंगी सेवाएँ।
(ii) प्रबन्धन या व्यापार सलाहकार सेवाएँ।
(iii) रियल एस्टेट एजेन्ट सेवाएँ।

श्री जय कुमार, हेड-सेज काम्पलियान्स तथा श्री अमरीक सिंह, एजीएम-सेज विकासकर्ता की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और जीएसटी के तहत उपर्युक्त 03 नग अतिरिक्त सेवाओं की पुनरुक्ति हेतु निवेदन किया।

05.10.2018 को एनएसईजेड, नोएडा में आयोजित हरियाणा के एसईजेड की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

अनुमोदन समिति ने स्पष्ट किया कि ये अतिरिक्त सेवाएँ अनुमोदन समिति द्वारा पहले से ही अनुमोदित कर दी गयी थीं अत: ऐसी सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में किसी पुनरुक्ति की आवश्यकता नहीं है। अनुमोदन समिति ने पुन: स्पष्ट किया कि वे अतिरिक्त सेवाएँ जिन्हें 66 नग डिफाल्ट सेवाओं के अतिरिक्त सेज विकासकर्ता/सह-विकासकर्ता/इकाइयों के परिप्रेक्ष्य में जीएसटी शासन के सम्मुख अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था वे जीएसटी क्रियान्वयन के पश्चात भी वैध रहेंगी और इन सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में किसी पुनरुक्ति की आवश्यकता नहीं है।

20. मैसर्स इंस्पॉप.कॉम लि. (इकाई-1) इकाई के गुडगाँव इन्फोस्पेस लि. आईटी/आईटीईएस सेज, गुरुग्राम से जी.पी. रियलटर्स प्रा.लि., इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर, आईटी/आईटीईएस सेज, गुरुग्राम, हरियाणा में अन्तरण के परिणामस्वरूप अधोमुखी प्रक्षेपों का विशोधन।

अनुमोदन समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि मैसर्स इंस्पॉप.कॉम लि. (इकाई-I) ने **इकाई के गुडगाँव इन्फोस्पेस लि. आईटी/आईटीईएस सेज, गुरुग्राम से जी.पी. रियलटर्स प्रा.लि., इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर, आईटी/आईटीईएस सेज, गुरुग्राम, हरियाणा में अन्तरण के परिणामस्वरूप संशोधित अधोमुखी प्रक्षेप निम्नवत प्रस्तुत किये हैं:-**

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण (पाँच वर्ष का)	वर्तमान प्रोजेक्शन	संशोधित प्रोजेक्शन
(i)	निर्यात का एफओबी मूल्य	19892.35	12219.95
(ii)	विदेशी विनिमय व्यय	341.99	103.63
(iii)	निबल विदेशी विनिमय आय	19550.36	12116.32
(iv)	आयातित पूँजीगत माल	125.00	23.00
(v)	स्वदेशी पूँजीगत माल	62.50	207.00

रोजगार	अनुमोदित प्रोजेक्शन	वर्तमान (वास्तविक)	संशोधित
	155	93	60

यह सूचित किया गया कि इकाई द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त संशोधित अधोमुखी प्रोजेक्शनों को डीसी, एनएसईजेड के अनुमोदन पर रिकार्ड के नोट पर दर्ज कर लिया गया था और दिनांक 01.10.2018 के कार्यालयी पत्र के माध्यम से इकाई के पास भेज दिया गया था बशर्ते अनुमोदन समिति द्वारा इसका विशोधन किया जाये।

पुन: यह सूचित किया गया कि प्रारम्भ होने से लेकर इकाई का निष्पादन निम्नवत है:-

- प्रथम पाँच वर्ष के कालखण्ड (24.03.2011 से 23.03.2016 तक) के दौरान निष्पादन

(रु. लाख में)

वर्ष	निर्यात का एफओबी मूल्य	एनएफई आय	डीटीए विक्रय	लम्बित विदेशी विनिमय व्यय
2010-11	43.36	43.36	0.00	0.00
2011-12	735.59	731.27	0.00	0.00
2012-13	1279.55	1256.15	0.00	0.00
2013-14	**1857.40**	1839.78	0.00	0.00
2014-15	2599.75	2512.33	0.00	0.00
2015-16 (23.03.2016 तक)	2613.03	2596.93	0.00	0.00
कुल :	9128.72	8979.86	0.00	0.00

- दूसरे कालखण्ड के दौरान निष्पादन (24.03.2016 से 31.03.2017 तक)

(रु. लाख में)

वर्ष	निर्यात का एफओबी मूल्य	एनएफई आय	डीटीए विक्रय	लम्बित विदेशी विनिमय व्यय
2015-16 (24.03.2016 से 31.03.2016)	359.64	357.75	0.00	0.00
2016-17	3,697.33	3,681.24	0.00	0.00
कुल	4,056.97	4,038.99	0.00	0.00

पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरान्त अनुमोदन समिति ने डीसी, एनएसईजेड द्वारा अनुमोदित उपर्युक्त संशोधित अधोमुखी प्रोजेक्शन विशोधित कर दिया। अनुमोदन समिति ने इकाई द्वारा 31.03.2017 तक अर्जित सकारात्मक एनएफई का भी संज्ञान लिया।

21.संशोधित प्रोजेक्शनों के अनुमोदन हेतु इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर में स्थित एक इकाई मैसर्स इन्सपॉप.कॉम लि. (इकाई-II) तथा ग्राम बेहरामपुर, जिला गुरुग्राम (हरियाणा) में मैसर्स जी.पी. रियलटर्स प्रा.लि. के आईटी/आईटीईएस सेज का प्रस्ताव।

अनुमोदन समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि मैसर्स इंस्पॉप.कॉम लि. (इकाई-II) ने **इकाई के गुड़गाँव इन्फोस्पेस लि. आईटी/आईटीईएस सेज, गुरुग्राम से जी.पी. रियलटर्स प्रा.लि., इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर, आईटी/आईटीईएस सेज, गुरुग्राम, हरियाणा में अन्तरण के परिणामस्वरूप संशोधित अधोमुखी प्रक्षेप निम्नवत प्रस्तुत किये हैः-**

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण (पाँच वर्ष का)	वर्तमान प्रोजेक्शन	संशोधित प्रोजेक्शन
(i)	निर्यात का एफओबी मूल्य	5658.91	8716.44
(ii)	विदेशी विनिमय व्यय	94.80	211.38
(iii)	निबल विदेशी विनिमय आय	5564.11	8505.36
(iv)	आयातित पूँजीगत माल	54.40	125.18
(v)	स्वदेशी पूँजीगत माल	139.60	714.02

यह सूचित किया गया कि इकाई को आयातित तथा स्वदेशी पूँजीगत माल के वर्तमान अनुमोदित मूल्य का उचित मूल्य देते हुए निर्धारित प्रारूप में उचित रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरान्त अनुमोदन समिति ने संशोधित प्रोजेक्शनों को अनुमोदित कर दिया बशर्ते इकाई आयातित तथा स्वदेशी पूँजीगत माल के वर्तमान अनुमोदित मूल्य का उचित मूल्य देते हुए निर्धारित प्रारूप में उचित रूप से जमा कर दे।

अध्यक्ष को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी।

(एस.एस. शुक्ला)
संयुक्त विकास आयुक्त

(डॉ. एल.बी. सिंघल)
विकास आयुक्त